

मेयर इन कोसिङ की बैठक दिनांक 18/02/2016
शहर का समय: 12: 00 बजे

क्रमांक	नाम	प्रत्यक्ष
1.	सुशील मधु लाल अहंगर	सदस्य
2.	श्री राम कुमार वर्मा	सदस्य
3.	श्री विनेश शर्मा	सदस्य
4.	श्री लाल चंद शर्मा	सदस्य
5.	श्री जितेश राठोर	सदस्य
6.	श्रीमती सुष्मा दाविया	सदस्य
7.	श्रीमती कविता राठोर	सदस्य
8.	श्रीमती अंता शर्मा	सदस्य
9.	श्रीमती नवधा शर्मा	सदस्य
क्रमांक	प्रत्यक्ष	निपट्य
①	संचालनालय नगरीय प्रशासन - हैदर विकास उद्यापती भवन (विभागाधारक अधिकारी) डॉ. ठाकुर न्युतुर तल नया बायपुर का पत्र क्रमांक ३५३ / रक्त / वि. / ७०० २०१५ / ५०८ दिनांक २०। ०। २०१६ अनुसार नगरपालिका निगम में उप अधिकारी के पद पर सीधी मरती के पादपत्र से नियुक्ति हेतु चयनित उमीदवारों की सूची निम्नानुसार है -	बची कृति कुमार की जाती है।
१ ⑤	क्र. सरल नं. नाम - विपता का नाम एवं पता श्री राजेश पांडा - श्री सुशील पांडा - हुमान चोहा S.B.I. के पात्र नं. १५	घटवोडी जिला व्यापार
२ ⑨	क्र. १९ - कुमार प्रेरणा कुमार - श्रीविजयकुमार - K.H.I.P. W.D Colony South Chakro elhar Nagar Raigarh.	K.H.I.P. W.D Colony South Chakro elhar Nagar Raigarh.
३ ५१	क्र. कोमल मिश्र - अशोक मिश्र - भीतर हार्ड ने यस बायपुरी स्थानीय	स्थानीय

क्रमांक	प्रत्यावर्ती	निष्पत्ति
④ (१३) कुंयज्ञा सिंहार पिता श्री ताराचंद सिंह तेली पाली पोट खोहर टिंगजिला यमन।		
⑤ (१४) श्री सुरजीत कर पिता श्री गोताराम		
⑥ श्री दिलीप उरांव पिता श्री सुखीराम उरांव मानस नगर कोरडा।		
⑦	श्री यगद नगर पालिका निगम में राजनीय व्यायालय में प्रेरणी कर रहे हैं निम्नानुसार ६ (छंटे) उचित रूपांक का माह दिवस १८ २०१५ में सम्पादित समाप्त हो गई है-	२वीं कृत
	जिसका लो पुनः (छंटे) माट-जनवरी २०१६ से जून २०१६ तक सम्पादिति- वाले हेतु विचारार्थ प्रस्तुत	
① श्री बाबू.के.बड़गी (२) श्री एस.के.नरेंद्र ३ राजेन्द्र विश्वाल (५) श्री दी.के.पुस्तील ६ श्री अमित जीत मलिन (७) श्री एस.के.पंडा		
⑧	कार्य उद्योगियों जना एकी कृत बाल विकास परियोजना श्री यगद नगरी का पत्र क्र. नाम/ स्था. /वारिएटी/ २०१५-१६ श्री यगद निर्मान १३/०१/ २०१६ ओगन लाडी कार्य कर्ता/ सहायिका हेतु अंतिम मूल्यांकन पत्र के ओगन लाडी के लिए निम्नानुसार पुष्टि हेतु विचारार्थ प्रस्तुत	२वीं कृत
	क्रमांक - ओगन लाडी के लिए गम - नाइकोनाम - पट का गम - वस्तित/उत्तोलित हेतु पता उम्मालवा/को नाम	
① - लेलाडुला - (२१) - ओगन लाडी - श्री भवी लसंती तुला/ केलाडुला कार्यकर्ता प्रशान्त तुलाडुला व्यायाम		
२ - हल्ला नगर - (३६) - ओगन लाडी सहायिका - कृषिलालोहन/ मिट्टूलुडा श्री मातीलालोहन गम		
३ - मिट्टूलुडा - (३६) - — " — - - सुभाषिनी योहन/ मिट्टूलुडा श्री मातीलालोहन गम		
४ - लाडीका सपुत्र - (०८) - — " — - - लूं उत्तु मिंज/ श्री छुखाम मिंज तुरीया गम		

क्रमांक	प्रतीक्षा वर्तन	नियम
④	<p>काशी लय परियोजना संचालन काल विकास परियोजना रायगढ़ शहरी का पत्र क्रमांक ७४२ / रसा. / का.वि.परी. १०.१५ - १६ रायगढ़ दिनों के २३/०१/२०१६ अनुसार आगरा बाड़ी के प्रभु कुर्मी जामी वी सहायिका के पद पर हुए मो मटेत पिता श्री वर्गील दाता मटेत का नियमन किया गया उनके स्थान पर अंतिम प्रबलंगन पत्र के सरल क्रमांक ०३ की आवधिका श्री मती गो मती लालू पति श्री गोरीशंकर साहू को M/C से अनुमतार्थ दिया गया प्रस्तुत।</p>	कर्तव्य ।
⑤	<p>सामाजिक सुरक्षा पेशन योजना तर्फ संपादन १४२ लिटरारी का आवधन पत्रों का संक्षेप परिचारक प्रस्तुत।</p> <p>१ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हृषि पेशन - ७७ २ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय हृषि पेशन - १५ ३ सुखद सहारा पेशन - १० ४ सामाजिक सुरक्षा पेशन - ०८ जोग १४२</p>	कर्तव्य ।
⑥	<p>छत्तीसगढ़ शालन नगरीय पुश्चालन एवं विकास विभाग नगरीय पुश्चालन का पत्र क्रमांक ७४७२/ १२८१/२०१५/१४ रायगढ़ दिनों के २७ दिसम्बर २०१५ एवं केंद्रीय मंडार देवन्धि नगर रायगढ़ के पत्र क्र. क०८. / प्र. / छ.न / १५ - १६/ ५३४ दि. ०२। १२। २०१५ अनुसार ५४ वार्ष पार्षद एवं हेल्डर मेन अनुसंदान साठे १० लाख प्रत्यक्ष वार्ष में $54 + 8 = 56 \times 10 = 560$ लाख ८४६०/०० रु. ४३९६०००० (त्रियांगी स लाख रुपयालक्ष लगातार मात्र) की संक्षेप परिचारक प्रस्तुत।</p>	अनुसार ५६३ में रखे।

(23)

	प्र० ता०	नि० वि०
⑦	पुरिये अधीक्षक कार्यालय एवं स्कूल की प्रिल दुक्त वाट डो बाल निमित्त कार्य का प्राप्त न्यूनतम दर 31.70% इस फैज़ आर. से केस (इकलील दशमलव सात शू. य) शांति कन्ट्रॉल्यून शायगाड़ का निवादा समिति में अनुशंसा दुसारे र-वी कृति वाले प्र० ता० विचारणा।	र-वी कृत
⑧	नव निमित्त आडिटोरियम में कोषित इयोशिपिकेशन अनुसार देश के इयोशिपिंग स्कूल भूलार (AHU) प्रदाय एवं स्थापना कार्य अनु ज्ञात 79.96 लाख है तु दिनांक 01/01/2016 प्राप्त निविदा सरकारी लाल इमारत छात्र (छात्र का निविदा समिति से अनुशंसा दुसारे र-वी कृति वाले विचारणे प्राप्त)	र-वी कृत निविदा निर्धारित इयोशिपिकेशन अनुसार कार्य कराया जाना शुनिश्चित है।
⑨		

प्रस्ताव क्र. ०७ वर्ष 2016-17 हेतु संपत्तिकर का निर्धारण हेतु प्रस्तावित दर

जोन क्रमांक 01— रेल्वे फाटक से सुभाष चौक हटरी चौक लक्ष्मीपुर चौक ढिमरापुर चौक उदना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसतमाला चौक, रटेशन रोड गांधी गज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधकक रोड। गांधी प्रतिमा से शयाम टॉकीज के चारों तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरुद्वारा रोड, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गज, शहीद चौक, केलों पुल होते हैं मूँ कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रुगार होटल से गौरीशकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आगोहा भवन रोड माडा कॉलोनी से गोदरी चौक; गददी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुशी गली गांजा चौक चौदानी चौक थाना रोड थाना के चारों तरफ सर्किट हाउस तक। बसतमाला चौक से सिविल लाइन सत्तीगुड़ी चौक घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारों तरफ किरोड़ी बाड़पारा जयसिंग तालाब रोड घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुज रोड हड़ी चौक, गौशाला रोड चारों तरफ। सत्तीगुड़ी चौक से कामरस कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक। नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समरत आवासीय कालोनियों, बहमंजिला (फ्लेट) आवासीय भवन तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 02— सिधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। हेमू कॉलाणी चौक से बेलादुला रोड सर्किट हाउस से उदना रोड शहीद चौक से जूना बड़पारा, चौदानी चौक होते यस स्टैप्ड, जजधर रोड कोष्ठपारा। एस.पी.बी.बगला से आटले घर होंगे दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से वैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। गौशालापारा डिपो रोड से रामभाटा रोड ढिमरापुर रोड। रेल्वे क्रासिंग से कबीर कोतरा रोड में राजीव नगर दूध डेयरी होते हुये सजय मैदान रामभाटा ढिमरापुर। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उडीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से द्रासपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उडीसा रोड बायपास काशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुडा होते हुये सहदेवपाली निगम सीमा तक। गोगा राईस मील से मिठदुमुडा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से द्रासपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चबू रोड से लकड़ी टाल होते हुये द्रासपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुडा रोड टी.वी.टॉवर रोड, पहाड़ मंदिर रोड, लक्ष्मीपुर चौक से इदिरा नगर रोड सर्किट हाउस मार्ग तक। चक्रधर नगर से कसरेपारा तक बोईरदादर चौक से विजयपुर निगम सीमा तक।

जोन क्रमांक 03— जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हैं।

जोन क्रमांक 04— जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हैं।

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर

जोन क्रमांक	निर्धारित भवन का दर			भूमि का दर		
	आवासीय		व्यवसायिक			
	पक्का	कच्चा	आवासीय पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	13.00	7.00	10.00	14.00	10.00	12.00
02	12.00	6.00	9.00	13.00	9.00	10.50
03	8.00	3.00	5.50	9.00	7.00	8.00
04	7.00	2.00	4.50	8.00	4.00	7.00

निगम सीमा के भंडाट समस्त मौद्रिकान् — प्रवृत्ति वर्ष 2013-14 तक
भूमि दर भवन वर्ष 2014-15 के अनुसार होगा।

प्रस्ताव क्रमांक - 09 :- वर्ष 2016-17 हेतु संपत्तिकर का निर्धारण हेतु प्रस्तावित दर

निर्णय :-

जोन क्रमांक 01 — रेल्वे फाटक से सुभाष चौक हटरी चौक लक्ष्मीपुर चौक डिमरापुर चौक उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधकरा रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारों तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी युरुद्वारा रोड, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गंज, शहीद चौक, केलो पुल होते हैं मूँ कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोर्डरदादर चौक। श्रीगां हाउटल से गौरीशक्ति मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड मोंडा कॉलोनी से गोदरी चौक। गददी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुशी गंजी गंजा चौक चॉदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किंट हाउस तक। बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुड़ी चौक घड़ी चौक थाना के चारों तरफ किरोड़ीमल कॉलोनी बीड़पारा जयसिंग तालाब रोड घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हड़ी चौक, गौशाला रोड चारों तरफ। सत्तीगुड़ी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, डिमरापुर चौक सी एम ओ तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक। नगर निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमजिला (प्लेट) आवासीय भवन तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 02 — सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। हैमू कॉलोनी चौक से बेलादुला रोड सर्किंट हाउस से उर्दना रोड शहीद चौक से जूना बड़पारा, चॉदनी चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड कोष्ठपारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। गौशालापारा डिपो रोड से रामभाटा रोड डिमरापुर रोड तक। कोतरा रोड में राजीव नगर दूध डेयरी होते हुये संजय मैदान रामभाटा डिमरापुर। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा होते हुये सहदेवपाली निगम सीमा तक। गोगा राईस मील से मिठवुमुड़ा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड टी.वी. टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, लक्ष्मीपुर चौक से इंदिरा नगर रोड सर्किंट हाउस मार्ग तक। चक्रधर नगर से कसरेपारा तक बोर्डरदादर चौक से विजयपुर निगम सीमा तक।

जोन क्रमांक 03 — जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हैं

जोन क्रमांक 04 — जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हैं

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर				भूमि का दर	
	आवासीय		व्यवसायिक		आवासीय	व्यवसायिक
	पक्का	कच्चा	आशिक पक्का	पक्का		
01	13.50	7.00	12.00	15.00	9.00	12.00
02	12.00	6.00	10.50	13.50	7.50	9.75
03	6.00	3.00	5.25	7.50	4.50	6.00
04	4.50	2.00	3.75	6.00	3.00	4.50

निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर वर्ष 2013-14 के एवं 2014-15 के अनुसार — भूमि 25.00, भवन 40.00 प्रतिवर्गफूट

वार्षिक भाडा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

1.	वार्षिक भाडा मूल्य 6001/- से 12000/- तक	- 6 प्रतिशत
2.	वार्षिक भाडा मूल्य 12001/- से 20,000/- तक	- 8 प्रतिशत
3.	वार्षिक भाडा मूल्य 20,001/- से 30,000/- तक	- 10 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाडा मूल्य 30,001/- से 50,000/- तक	- 12 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाडा मूल्य 50,001/- से 75,000/- तक	- 15 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाडा मूल्य 75,001/- से 1,00,000/- तक	- 18 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाडा मूल्य 1,00,001/- से अधिक	- 20 प्रतिशत

नोट :- नगर निगम सीमा क्षेत्र में रिथं समर्त औद्योगिक भूमि भवन तथा शोरुम, गोदाम, राईस मिल विवाह घर तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, लॉज सिनेमाघर के भूमि /भवन के सप्तिकर वार्षिक भाडा मूल्य की गणना में 10 प्रतिशत रखरखाव छूट रहेगी एवं वार्षिक भाडा मूल्य की गणना में 20 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर देय होगी।

शिक्षा उपकर :- 10,000.00 रु से अधिक वार्षिक भाडा मूल्य होने पर आवासीय भवनों में 25 प्रतिशत

तथा व्यवसायिक भवनों में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

समेकित कर :- वार्षिक भाडा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से ऊपर 600.00 रु. की दर से

संपत्तिकर के साथ देय होगी।

शिक्षा उपकर :- 6,000.00 रु. से अधिक वार्षिक भाडा मूल्य होने पर आवासीय भवनों में 25 प्रतिशत

तथा व्यवसायिक भवनों में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

समेकित कर :- वार्षिक भाडा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से ऊपर 600.00 रु. की दर से

संपत्तिकर के साथ देय होगी।

संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाडा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. कृषि भूमि पूर्णतः कर मुक्त रहेगी।
5. धारा 137 के तहत वर्ष 2016-17 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2016 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2016 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं का निलेगी। यिन्हा छूट के 31 मार्च 2017 तक देय होगा तथा 31 मार्च के पश्चात 6 प्रतिशत दरकाया पर व्याप्र देय होगा।

विशेष - न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2) के सशोधित राजपत्र दिनांक 09 अगस्त 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति (31 मार्च 2017) तक ख-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर भवन स्वामी को एक हजार रुपये शारित अधिरोपित की जावेगी।

नोट:- संपत्तिकर स्वनिर्धारण पत्रक में अपने भूमि/भवन को नाप जोक कर क्षेत्रफल की जानकारी सही-सही भरे यदि स्वनिर्धारण पत्रक जॉच करने पर यह पाया जाता है कि आपके द्वारा अपने भूमि/भवन की जानकारी गलत भरकर संपत्तिकर की गणना कम की गई है, तो वार्त्तदिक कर एवं अतर की राशि का 5 गुना राशि दड स्वरूप न.पा.नि. अधिनियम की धारा 138 (3) के तहत वसूल की जावेगी।

वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

1.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001/- से 20,000/- तक	-	6 प्रतिशत
2.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 20,001/- से 50,000/- तक	-	8 प्रतिशत
3.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 50,001/- से 80,000/- तक	-	10 प्रतिशत
4.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,001/- से 1,00,000/- तक	-	12 प्रतिशत
5.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,00,001/- से 1,20,000/- तक	-	15 प्रतिशत
6.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,20,001/- से 1,50,000/- तक	-	18 प्रतिशत
7.	वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,50,001/- से अधिक	-	20 प्रतिशत

नोट :- नगर निगम सीमा क्षेत्र में विस्थित सभस्त औद्योगिक भूमि भवन तथा, शोरुम, गोदाम, राईस मिल, विवाह घर तथा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल, लॉज सिनेमाघर के भूमि / भवन के संपत्तिकर वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना में 10 प्रतिशत रखरखाव छूट रहेगी एवं वार्षिक भाड़ा मूल्य की गणना में 20 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर देय होगी।

शिक्षा उपकर :- 10,00,000 रु. से अधिक वार्षिक भाड़ा मूल्य होने पर आवासीय भवनों में 1.5 प्रतिशत तथा व्यवसायिक भवनों में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

समेकित कर :- वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से ऊपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगी।

संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. कृषि भूमि पूर्णतः कर मुक्त रहेगी।
5. धारा 137 के तहत वर्ष 2016-17 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2016 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2016 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छूट के 31 मार्च 2017 तक देय होगा तथा 31 मार्च 2017 के पश्चात 6 प्रतिशत बकाया पर ब्याज देय होगा।

विशेष :- न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 138 की उपधारा (2) के संशोधित राजपत्र दिनांक 09 अगस्त 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष समाप्ति (31 मार्च 2017) तक स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर भवन स्वामी को एक हजार रुपये शास्त्रित अधिरोपित की जावेगी।

नोट:- संपत्तिकर स्वनिर्धारण पत्रक में अपने भूमि/भवन को नाप जोक कर क्षेत्रफल की जानकारी सही-सही भरे यदि स्वनिर्धारण पत्रक जॉच करने पर यह पाया जाता है कि आपके द्वारा अपने भूमि/भवन की जानकारी गलत भरकर संपत्तिकर की गणना कम की गई है, तो वास्तविक कर एवं अंतर की राशि का 5 गुना राशि दड स्वरूप न.पा.नि. अधिनियम की धारा 138 (3) के तहत वसूल की जावेगी।



1) साप्ताहिक / दैनिक बैठकी फीस :-

नगर निगम रायगढ़ द्वारा प्रिंगत कई वर्षों से बाजार कर एवं दर पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है एवं साप्ताहिक बाजार ठेका प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है जिस हेतु बाजार कर एवं फीस में सशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित दर निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थान / वस्तु	वर्तमान प्रचलित दर	प्रस्तावित दर
1	खुली भूमि 6x6 से 10x10 वर्फट तक सभी हेतु	15.00 रु. प्रतिदिन	20.00 रु. प्रतिदिन
2	मेलान का व्यवसायिक / मेला आदि 1000 वर्फट तक	150.00 रु. प्रतिदिन	500.00 रु. प्रतिदिन
3	मुर्गा, मूर्गी, बत्तरा	10.00 रु. प्रति नग	10.00 रु. प्रति नग
4	मोटर सायकल से सभी	30.00 रु. प्रति गाड़ी	30.00 रु. प्रति गाड़ी
5	सायकल से सभी	15.00 रु. प्रति वाहन	15.00 रु. प्रति वाहन
6	रिक्षा, हाथ ठेला से सभी	50.00 रु. प्रति वाहन	50.00 रु. प्रति वाहन
7	ट्रेक्टर से	75.00 रु. प्रति ट्राली	75.00 रु. प्रति ट्राली
8	आटो चिकअप	50.00 रु. प्रति वाहन	50.00 रु. प्रति वाहन
9	कावड़ भार मे	10.00 रु. प्रति भार	10.00 रु. प्रति भार
10	सिर बोडा	7.00 रु. प्रति बोडा	7.00 रु. प्रति बोडा
11	प्रति घोरा	10.00 रु. प्रति घोरा	10.00 रु. प्रति घोरा
12	खोम्बा, पान ठेला, बफ ठेला एवं अन्य ठेला	20.00 रु. प्रति	20.00 रु. प्रति
13	लकड़ी, बेत तखत या खाट की सामग्री	20.00 प्रति नग	20.00 प्रति नग
14	फटडा बर्तन एवं अन्य 10x10 वर्फट तक	50.00 प्रतिदिन	50.00 प्रतिदिन
15	मट्टा एवं कच्ची बड़ी मछली पसरा	50.00	50.00
16	निगम क्षेत्र में अखाइ दब्ल फीस	20.00 प्रति पसरा या ठेला	20.00 प्रति पसरा या ठेला

आउटियों व कर्मीशान एजेट को भी उपरोक्त दर पर बाजार फीस लगेगा।

- 1) शाराब दुकान - 10,000.00 रु. प्रतिवर्ष यथावत
- 2) पशुपथ फीस - रु. 50.00 प्रति पशु
- 3) पशु पर्जीयन - मवेशी के मूल्य का 2 % पर्जीयन शुल्क
- 2) सामान्य आवेदन शुल्क - प्रति आवेदन शुल्क 5/-
- 3) मेला / प्रदर्शनी / संकरा इत्यादि का प्रदर्शन शुल्क - 500/- प्रतिदिन
- 4) रवय के निजी भवन / भूमि पर लगे होड़िग विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क
विना लाईट - प्रतिवर्गफीट वर्तमान 15/- प्रस्तावित - 25/-
लाईटयुक्त - प्रतिवर्गफीट वर्तमान 25/- प्रस्तावित - 40/-

(10) कार्यालय नगर पालिका कार्यालय के वर्तमान मिलान किंवद्दन गिरावटीयों को दो वर्ष परिवर्तनावधि सफलतापूर्वक बदले जाने के उपरोक्त निम्नलिखित रूपीकृत हेतु विचारण प्रारंभ

रूपीकृत हेतु विचारण प्रारंभ

१) श्री रघवेंद्र सिंहार्थ संस्कारिति	- विवरितिकरण नंतर
27/12/2011	27/12/2013
२) कु. निशा ठाली	- 30/09/2015
३) श्री लक्ष्मी कुमार महार	- 30/12/2015
४) श्री बालेश्वर कुमार शाहव	- 30/12/2015
५) कु. रघुम सुरेश	- 30/12/2015
६) कु. रिंबी गुला	- 04/01/2016
७) श्री मती पाल्युरी पटवा	- 01/10/2015
८) श्री रघुम भाराठी	- 24/02/2014

(२६)

1) साप्ताहिक / दैनिक बैठकी फीस :-

नगर निगम रायगढ़ द्वारा दियत कई वर्षों से बाजार कर एवं दर पर किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है एवं साप्ताहिक बाजार ठेका प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत वृद्धि की जाती है, जिस हेतु बाजार कर एवं फीस में संशोधन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रस्तावित दर निम्नानुसार है:-

क्र.	स्थान / वस्तु	वर्तमान प्रचलित दर	प्रस्तावित दर
1	खुली भूमि 6X6 से 10X10 वर्गफूट तक सब्जी हेतु	15.00 रु. प्रतिदिन	20.00 रु. प्रतिदिन
2	मैदान का व्यवसायिक / मेला आदि 1000 वर्गफूट तक	150.00 रु. प्रतिदिन	500.00 रु. प्रतिदिन
3	मुर्गा, मुर्गा, बत्तख	10.00 रु. प्रति नग	10.00 रु. प्रति नग
4	मोटर सायकल से सब्जी	30.00 प्रति गाड़ी	30.00 प्रति गाड़ी
5	साइकल से सब्जी	15.00 रु. प्रति वाहन	15.00 रु. प्रति वाहन
6	रिक्षा, हाथ ठेला से सब्जी	50.00 रु. प्रति वाहन	50.00 रु. प्रति वाहन
7	ट्रेवर्ट, से	75.00 प्रति द्राटी	75.00 प्रति द्राटी
8	आटो एपिकअप	50.00 प्रति वाहन	50.00 प्रति वाहन
9	कारबड भार मे	10.00 रु. प्रति भार	10.00 रु. प्रति भार
10	सिर बोझा	7.00 रु. प्रति बोझा	7.00 रु. प्रति बोझा
11	प्रति बोरा	10.00 रु. प्रति बोरा	10.00 रु. प्रति बोरा
12	खोमचा, पान ठेला, शर्क ठेला एवं अन्य ठेला	20.00 रु. प्रति	20.00 रु. प्रति
13	लकड़ी, बेत तत्खत या खाट की सामग्री	20.00 प्रति नग	20.00 प्रति नग
14	कपड़ा, बर्तन एवं अन्य 10X10 वर्गफूट तक	50.00 प्रतिदिन	50.00 प्रतिदिन
15	मटन एवं कच्ची बड़ी मछली पसरा	50.00	50.00
16	निगम क्षेत्र में अस्थाई दखल फीस	20.00 प्रति पसरा या ठेला	20.00 प्रति पसरा या ठेला

आड़तियों व कमीशन एजेंट को भी उपरोक्त दर पर बाजार फीस लगाया।

- शारब दुकान - 10,000.00 रु. प्रतिवर्ष - यथावत
- पशुवध फीस - रु. 50.00 प्रति पशु
- पशु पंजीयन - मवेशी के मूल्य का 2 % पंजीयन शुल्क
- सामाच्च आवेदन शुल्क :- प्रति आवेदन शुल्क 5/-
- मेला / प्रदर्शनी / सर्कस इत्यादि का प्रदर्शन शुल्क - 1000/- प्रतिदिन
- स्थय के निजी भवन / भूमि पर लगे होड़िग विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क
यिना लाईट - प्रतिवर्गफीट वर्तमान 15/- प्रस्तावित - 25/-
लाईटयुक्त - प्रतिवर्गफीट वर्तमान 25/- प्रस्तावित - 40/-
- मनोरजन कर (शो टेक्स) - प्रति शो 25.00 रु.
- शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा।

अनुदान सा दी जाती है। परिषद बैठक में रखा जावे।

इच्छा है। नियमानुसार स्थायीउठा की जाती है।

४५

क्र.	प्रतीक -	टिप्पणी -
(11)	<p>श्रीमती ज्योति पाठे येवा निवृत्त व्याख्याती न.या. निगम हायर सेकेन्डरी स्कूल रायगढ़ का आवेदन पर समझाय रखने मान एवं बी.एड. प्रवित्तन की दो वेतन हुई का छात्र प्रदान होने कावत्।</p>	<p>श्रीहुती शासन निर्देशानुसार समझान एवं बी.एड. प्रवित्तन का लाभ प्रदान की जाती</p>
(12)	<p>कार्यालय मानव शासकीय लेला प्रवित्तन शाला का पत्र नं. ४८५ / शाल.इ. शा.वि. / उक्तेशी / २०१७-१८ विलालडू दिनांक ११/०३/२०१८ जिसमें लोगों प्रवित्तन का सत्र मात्र २०१६ से जून २०१६ में उक्ता हो तु श्रीमती वधु महाम सहा येड नं. ३०८ अठुमतिशासन की गई तथा उनको दि. ०१/०३/२०१६ से ०१/०३/२०१६ के बीच में उपर्युक्त आवश्यक हो तदुनुषाई प्रवित्तन</p>	<p>नियमानुसार श्रीहुती प्रदान की जाती</p>

महापौर
कार्यालय विभाग

प्रवित्तन
परीक्षा